सेवाएं विभाग
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, सातवां तल, 'बी' विंग,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

तारांकित प्रश्न संख्याः 23
दिनांकः 09.08.2017
प्रश्नकर्ता का नामः श्री राजू धिंगान

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि आशुलिपिकों (ग्रेड–2) को वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर दिसंबर, 2016 में प्रोन्नत किया गया था,	हाँ।
ख	क्या यह भी सत्य है कि सात महीने से अधिक बीत जाने पर भी इनमें से कुछ अधिकारियों को उनका वेतन नहीं मिला है,	हाँ। सेवा विभाग द्वारा जारी किये गए परिपत्र दिनांक 23.01.2017 के अनुसार, एलोकेशन ऑफ बिज़नेस रूल्स, 1993 की शर्तों के संदर्भ में, दास और स्टेनोग्राफर कैडर से संबंधित अधिकारी/अधिकारियों को सेवा विभाग के औपचारिक आदेश के बिना सरेंडर नहीं किया जा सकता। कुछ विभागों जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, सतर्कता निदेशालय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दिनांक 23.01.2017 के परिपत्र के प्रावधान के उल्लंघन में वरिष्ठ निजी सहायकों को सरेंडर किया। कई विभागों से बार–बार अनुरोधों के बावजूद सेवा विभाग में यथातथ्य पदों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण सेवा विभाग में बनाये गए आंकड़ों का अद्यतन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, यह आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन जो दिनांक 14.03.2017 से 23.05.2017 तक स्थानीय निकाय चुनावों तक लागू थी, के कारण भी विलम्ब हुआ। जैसे ही कुछ कर्मचारियों के वेतन भुगतान न किये जाने की सूचना सेवा विभाग के संज्ञान में लाई गई, तभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन के बारे में आवश्यक प्रशासकीय आदेश जारी कर दिए गए थे।
ग	इन अधिकारियों को इतने लंबे समय तक उनके वेतन से वंचित रखने के क्या कारण हैं,	
घ	ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं,	सेवा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मानव संसाधन सूचना प्रबंधन प्रणाली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।
ङ	सेवाएं विभाग के जो अधिकारी विभिन्न विभागों में रिक्तियों की स्थिति का सही आंकलन करने में असफल रहे, जिसके कारण इन	आंकड़ों को बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए सेवा विभाग सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों का सामूहिक प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग को उपरोक्त परिपत्र को

	अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है,	अक्षरशः पालन करने के लिए भी कहा गया है। प्रति संलग्न है।
च	यदि हां, तो उसका ब्यौरा, और	उपरोक्त (घ) व (ङ) के उत्तर के मद्देनज़र लागू नहीं होता।
छ	यदि नहीं, तो उसके कारण ?	

(अश्विनी कुमार मेहता)
उप सचिव (सेवाएं)

ASHWANI KUMAR MEHTA
Dy. Secretary (Services)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

51/C

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
SERVICES DEPARTMENT

(Delhi Secretariat, 7th Level: A-Wing, I.P. Estate, New Delhi)
(http://services.delhigovt.nic.in)

No. F.4/4/2017/S-II/263-275 Dated: 23-01-2017

CIRCULAR

In the recent past, it has come to the notice of Services Department that various Departments/Agencies of GNCTD are unilaterally surrendering/relieving the officials of DASS/Stenographer Cadre (including those on deputation) to Services Department on various grounds viz., services of the officials/officers are no more required, administrative reasons etc., without any justification.

2. Attention of the Departments/Agencies of GNCTD is invited to the terms of Allocation of Business Rules, 1993, wherein service matters including transfer/posting of officers/officials of DASS/Stenographer Cadre come under the purview of the Services Department. As such, officers/officials belonging to DASS/Stenographer Cadre cannot be surrendered or relieved without the formal orders of the Services Department.

3. If any Department/Agency of GNCTD is of the view that an officer/official is not performing his/her duties diligently or his/her conduct is found not satisfactory, the Department/Agency shall immediately initiate or recommend appropriate departmental action under the relevant provisions of Conduct Rules against the erring officers/official. After initiation of action against the officer/official, if the Department/Agency is of the view that the continuance of the said officer/official is against the interest of that Department/Agency, a proposal for transfer/posting of such officer/official in this regard with proper justification shall be submitted to Services Department through the Administrative Secretary concerned for further action.

4. If any Department/Agency of GNCTD resort to unilateral surrender of any officer/official in contravention of the aforesaid instructions, it shall be presumed that there is no requirement of staff posting of such category officer/official in the said Department/Agency in future and it would be deemed to be a surrender of official along-with the post.

50/C

5. The above instructions shall be strictly complied with. HoDs shall personally be held responsible for non-adherence of the above instructions and no substitute will be provided in future to the Department/Agency concerned against any unilateral surrender of officer/official by the Department/Agency.

6. This issues with the prior approval of the Chief Secretary, Delhi.

23/01/17

(ANOOP THAKUR)
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)

All HODs concerned, Govt. of NCT of Delhi, Delhi / New Delhi.

No. F.4/4/2017/SII/263-275 Dated: 23.01.2017

Copy forwarded for information and further necessary action to:

1. The Staff Officer to Chief Secretary, Delhi, Govt. of NCT of Delhi, 5th Level, Delhi Secretariat, Delhi.
2. All Superintendent of Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
3. Superintendent (Co-ordination), Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi, with the request to upload this circular on the website of Services Department.
4. Guard file/Computer Assistant.

23/01/17

(ANOOP THAKUR)
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)